उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–413 / XXVII(9) / स्टाम्प–54 / 2008
देहरादूनः दिनांक 08 जुलाई, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल **''भारत का संविधान''** के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (समूह 'क') सेवा में भर्ती और उनमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियिमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (समूह 'क') सेवा नियमावली, 2001

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (समूह ''क'') सेवा नियमावली, 2011

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्राास्थिति

2. उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (समूह ''क'') सेवा में समूह ''क'' के पद समाविश्ट है।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) ''संविधान'' से ''भारत का संविधान'' अभिप्रेत है;

(ग) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ड़) ''सेवा'' से उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (समूह ''क'') सेवा अभिप्रेत है;

(च) ''सेवा का सदस्य'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) ''महानिरीक्षक निबन्धन'' से महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ज) ''मौलिक नियुक्ति'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और निमयों के अनुसार चयन के पश्चात की गति हो ओर यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपाल अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई है;

(झ) ''भर्ती का वर्ष'' से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो
संवर्ग

सेवा का

4. **(1)** सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदो की संख्या उतनी

संवर्ग

होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उप–नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी **परिशिष्ट ''क''** में दी गयी है;

(क) किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिसमें कोई प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(ख) समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित कर सकते हैं; जिन्हें वह उचित समझें।

भाग – तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः–

(क) सहायक महानिरीक्षक निबन्धन (रू0 15,600–39,100 ग्रेड वेतन 6,600) — मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप–निबन्धकों से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस से उप–निबन्धक के पद पर श्रेणी–एक में वर्ष और यदि श्रेणी–एक उपलब्ध न हो तो श्रेणी–दो में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुप्रयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

(ख) उप–महानिरीक्षक निबन्धन (रू0 15,600–39,100 ग्रेड वेतन 7,600) — मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक महानिरीक्षक निबन्धन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप से 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से अनुप्रयुक्त कर अस्वीकार करते हुए ज्येश्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

(ग) अपर–महानिरीक्षक निबन्धन (रू0 37,400–67,000 ग्रेड वेतन 87,000) — मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप–महानिरीक्षक निबन्धन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से चयन समिति के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा

(6) उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेंगा।

भाग – चार

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

अपर महानिरीक्षक निबन्धन, उप–महानिरीक्षक निबन्धन

7(1) अपर महानिरीक्षक निबन्धन, उप–महानिरीक्षक निबन्धन तथा सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित ''उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिमि का गठन (लोक सेवा आयेाग की परिधि के बाहर के पदो ंके लिये) नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिये गये मानदण्ड

तथा सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

के आधार पर की जोयगी;

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक से संबंधित व्यक्ति सम्मिलित नहीं है तो अपर महानिरीक्षक निबन्धन के मामलें में सरकार के सचिव के स्तर का कोई अधिकारी ओर अन्य पदों पर पदोन्नति के मामलें में ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिसका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, से संबंधित कोई अधिकारी, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, चयन समिति के सदस्य के रूप में भाग लेना निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 एवं उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुप्रयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किए जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2009 के उपबन्ध लागू होंग।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों ओर उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों में मामलों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(5) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता–क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेंगी।

(6) अपर महानिरीक्षक निबन्धन के पद पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगाः–

(क)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ख)	प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक	सदस्य
(ग)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	सदस्य

(7) उप–महानिरीक्षक निबन्धन तथा सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के पद पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगाः–

(क)	प्रमुख सचिव/सचिव वित्त	अध्यक्ष
(ख)	प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक या उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर	सदस्य

का ना हो

(ग) महानिरीक्षक निबन्धन सदस्य

भाग–पॉच

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 8. नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्तियॉ उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 7 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो।

परिवीक्षा 9. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्व रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों, से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाये;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उप–नियम (3) के अधीन, जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाये, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 10 परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा, यदि उसने–

ज्येष्ठता 11 (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते है तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते है;

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूलरूप में नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(3) जहॉ नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी

एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 20 के अनुसार तैयार की गई, संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जाएगी कि विहित प्रतिशत बना रहे;

परन्तु यह कि–

(क) जहॉ किसी स्रोत से नियुक्तियॉ विहित कोटे से अधिक की जाती है, वहॉ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियॉ हों, नीचे कर दी जायेंगी।

(ख) जहॉ किसी स्रोत से नियुक्तियॉ विहित कोटे से कम की जाती है ओर ऐसे रिक्त पदों के विरूद्व नियुक्तियॉ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती है, वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा;

(ग) जहॉ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियॉ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं ओर इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियॉ जाती है, वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्व की गयी है।

भाग – छः
वेतन आदि

वेतनमान

12 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसेा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट ''ख'' में दिये गये है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

13 (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होती हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्वि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो। द्वितीय वेतन वृद्वि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और संतोषजनक सेवा का कार्यलय ज्ञाप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा चुका है;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्वि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हों परिवीक्षा अवधि

में वेतन राज्य के कार्य–कलाप के संबंध में सेवारत सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग – 8

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन	14	किसी पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहें लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।
अन्य विषयों का विनियमन	15	विशयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या वि'ोश आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
सेवा की भार्तों में शिथिलता	16	जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की भर्ती को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होती हुए भी, आदेशों द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक ओर ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और सम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
व्यावृत्ति	17	इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हों।

(राधा रतूड़ी)
सचिव ।

पत्रांक : 413(1)/XXVII(9)/स्टाम्प–54/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. न्याय/विधायी अनुभाग/कार्मिक अनुभाग उत्तराखण्ड भाासन।
3. उप–निदेशक, लिथो प्रेस, रूड़की को हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध करा दें।
4. प्रभारी एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(प्रदीप सिंह रावत)
उप–सचिव।

परिशिष्ट ''क''

(नियम 4 का उपनियम (2) देखें)

क्र0सं0	पद	कुल स्वीकृत पद	स्थायी	अस्थायी
1.	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन	5	4	1
2.	उप–महानिरीक्षक निबन्धन	1	1	–
3.	अपर महानिरीक्षक निबन्धन	1	–	–

परिशिष्ट ''ख''

(नियम 12 का उपनियम (2) देखें)

क्र0सं0	पद	वेतन बैंड (रूपये में)	ग्रेड वेतन (रूपये में)
1.	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन	15,600–39,100	1
2.	उप–महानिरीक्षक निबन्धन	15,600–39,100	–
3.	अपर महानिरीक्षक निबन्धन	37,400–67,000	–